विदेशी मुद्रा गतिविधियां

फरवरी 2009

(i) घरेलू तेल शोधन, जहाज़रानी कंपनियों तथा अन्य कंपनियों द्वारा माल भाड़ा जोखिम का बचाव

वर्ष 2008-09 के वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा में की गई घोषणा के अनुसार (पैरा 146), यह निर्णय लिया गया है कि उन प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंकों को अधिकार प्रत्यायोजित किये जाएं, जिन्हे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर पण्य के बचाव की मंजूरी देने, घरेलू तेल शोधन कंपनियों और जहाजरानी कंपनियों द्वारा माल भाड़ा जोखिम का बचाव करने की अनुमति प्रदान की गई है :

i) बचाव अंतरराष्ट्रीय मंडी/बाजार में प्लेन वैनिला काउंटर पर (ओटीसी) अथवा एक्सचेंज ट्रेडेड उत्पादो के रुप में वचनबद्ध किया जा सकता है।

ii) विनिमय गृह, जहां उत्पादों की खरीद की जाती है, विनियमित संस्था हो।

iii) अनुमत अधिकतम भाव एक वर्ष आगे का होगा।

iv) अंतर्निहित ऋण जोखिम का आधार निम्नवत् है।

(क) तेल शोधन कंपनियों के मामले में-

(i) माल भाड़ा जोखिम बचाव, अंतर्निहित संविदाओं अर्थात् कच्चे तेल/पेट्रोलियम उत्पादों के लिए आयात/निर्यात आदेशों पर आधरित होगा। इसके अतिरिक्त, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक कच्चे तेल के प्रत्याशित आयातों पर उनके विगत कार्य-निष्पादन के आधार पर उनके माल भाड़ा जोखिम के बचाव के लिए तेल शोधन कंपनियों को पिछले वर्ष के दौरान कच्चे तेल की वास्तविक आयातों की मात्रा के 50 प्रतिशत तक अथवा पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातों की औसत मात्रा के 50 प्रतिशत तक, जो भी अधिक हो, अनुमति दे सकते हैं।

(ii) विगत कार्य-निष्पादन सुविधा के तहत निष्पादित संविदाओं को बचाव की अवधि के

दौरान अंतर्निहित दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण द्वारा नियमित करना होगा। कंपनी से इस आशय का वचनपत्र लिया जाए।

(ख) जहाजरानी कंपनियों के मामले में:

(i) जोखिम बचाव जहाजरानी कंपनी के स्वामित्व वाले / नियंत्रित जहाजों के आधार पर होगा, जिनके पास कोई वचनबध्द रोज़गार नहीं होगा। बचाव की मात्रा इन जहाजों की संख्या और क्षमता द्वारा निर्धारित की जाएगी। उसे प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक के किसी सनदी लेखाकार द्वारा प्रमणित किया जाएगा।

(ii) जोखिम बचाव की निष्पादित संविदाएं, अंतर्निहित दस्तावेज के अर्थात् जोखिम बचाव की अवधि के दौरान जहाज पर रोजगार से सबंधित दस्तावेज,प्रस्तुत करके नियमित की जायें। कंपनी से इस आशय का वचनपत्र ले लिया जाए।

(iii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंको को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जहाजरानी कंपनियों द्वारा निष्पदित किए जा रहे माल भाड़ा डेरिवेटिव्ज जहाजरानी कंपनियों के अंतर्निहित कारोबार का प्रतिरूप है।

v) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंकों को यह सुनिश्चित करना चहिए कि अपने माल भाड़ा ऋण जोखिम का बचाव करने वाली संस्थाओं ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंध नीतियां बनाई हैं,जो कि ढांचे जिसके भीतर डेरिवेटिव्ज लेन-देन किये जाएं और जोखिम उठाये जाएं, को समग्र रूप से परिभाषित करती हैं। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - । बैंक, यह सुनिश्चित करने के बाद ही इस सुविधा का अनुमोदन करें कि विशिष्ट गतिविधि और समुद्रपारीय विनिमय गृहों / बाजारों में व्यवसाय करने की भी कंपनी के बोर्ड की अनुमति प्राप्त की गयी है। बोर्ड के अनुमोदन में, लेन-देन करने के लिए सुव्यकत प्रधिकारण / प्रधिकारण, बाजार दर आधरित मूल्य नीति, ओवर दि काउंटर डेरिवेटिव्ज (ओटीसी) के लिए अनुमत काउंटर पर्टियों अदि अनिवार्यतया शमिल किये जायें तथा किये गये लेन-देनों की एक सूची छ:माही आधार पर बोर्ड को प्रस्तुत की जाये। प्रधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक, उपर्युकमत ब्योरों को शमिल करने वाली कंपनी से लेन-देनों की अनुमति प्रदान करते समय ही अनिवार्यतया जोखिम प्रबंध नीति की प्रतिलिपि और उसमें जैसे ही कोई परिवर्तन किये जाते हैं तो उसकी प्रतिलिपि कंपनी से प्राप्त कर लेनी चहिए।

3. अन्य कंपनियों के मामले में जो कि माल भाड़ा जोखिम उठाती हैं, प्रधिकृत व्यापारी श्रेणी - । बैंक अपने ग्राहकों की ओर से अनुमति के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से संपर्क करें।

[ए पी (डी आइ आर श्रंखला)परिपत्र सं 50, दिनांक 4 फरवरी,2009]

(ii)डायमंड डालर एकाउन्ट (डी डी ए)खोलना- उदारीकरण

प्रक्रिया को उदारीकृत बनाने की दृष्टि से शक्तियों का प्रत्यायोजन प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को किया गया था ताकि एसी फर्मों एवं कंपनियों को प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों के साथ डीडीए खोलने एवं रखरखाव करने के लिए अनुमति दी जा सके, बशर्ते निम्नलिखित शर्ते पूरी कर ली गई हों।

क. निर्यातक को भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति में विहित पात्रता मानदंडों को पूरा करना चाहिए, जिन्हें समय-समय पर जारी किया जाता है।

ख. डीडीए को केवल निर्यातक के नाम पर ही खोला जाना चाहिए एवं इसे केवल अमरीकी डॉलर में रखा जाना चाहिए।

ग. खाता केवल चालू खाते के रूप में होगा एवं खाते में शेष राशि पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।

घ. खाता धारक द्वारा धारित डीडीए के बीच किसी भी आंतर खाता अंतरण की अनुमति नहीं होगी।

ड. एक निर्यात फर्म/कंपनी को 5 डीडीए से ज्यादा खातों को खोलने एवं रखने की अनुमति होगी।

च. खातों में बकाया शेष पर (सीआरआर) एवं सांविधिक चलनिधि अनुपात अपेक्षाएं (एसएलआर) लागू होंगी।

छ. भारत के अथवा विदेश में ईईएफसी खातों को छोड़कर विदेशी मुद्रा खाते रखने वाली निर्यातक फर्में और कंपनियां डायमंड डॉलर खाते खोलने की पात्र नहीं हैं।

ज. डीडीए में लेनदेन अनुमत्य क्रेडिट एवं डेबिट के अधीन होंगे।

[ए पी (डी आइ आर श्रंखला)परिपत्र सं 51,
दिनांक 13 फरवरी,2009]

(iii) भारत सरकार और पूर्ववर्ती यूएसएसआर के बीच 30 अप्रैल 1981 तथा 23 दिसंबर 1985 के आस्थगित भुगतान (राजकीय) व्यापार समझौते

6 फरवरी 2009 से विशेष करेंसी बास्केट का रुपया मूल्य 65.0272 रुपये रुपए नियत किया गया है।

[दिनांक 19 फरवरी, 2009 का ए पी
(डी आइ आर श्रंखला)परिपत्र सं 52]

(iv) नाइजर गणराज्य की सरकार को एक्जिम बैंक की ओर से 20 मिलियन अमरीकी डालर की वित्तीय सहयता

भारतीय निर्यात आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने 11 अक्तूबर 2008 को नाइजर गणराज्य की सरकार के साथ एक करार को अंतिम रूप दिया है जिसमें नाइजर गणराज्य के लिए निम्नलिखित हेतु भारत की ओर से परामर्शदात्री सेवाओं सहित पात्र माल एवं सेवाओं के वित्तपोषण के लिए 20 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता (एलओसी) उपलब्ध कराई है (i)छह विद्युत केन्द्रों का पुनर्वास एवं सुदृढ़ीकरण (ii) तीन विद्युत ट्रांसफॉर्मरों का क्रय, और (iii) नाइजर गणराज्य में विभिन्न स्थानों के बीच विद्युत लाइनों को पुनः स्थापित करना एवं साथ ही साथ नई लाइने बनाना।

[दिनांक 19 फरवरी 2009 का ए पी
(डी आइ आर श्रंखला)परिपत्र सं 53]

(V) भारतीय निर्यात-आयात बैंक(एक्ज़िम बैंक)की गैबनीस की गणतंत्र सरकार को 14.50 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहयता

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने गैबनीस की गणतंत्र सरकार को गैबनीस में आवासीय परियोजना की व्यवस्था हेतु परामर्शदात्री सेवाओं सहित भारत से सुयोग्य वस्तुओं तथा सेवाओं के भारत से निर्यात के वित्तपोषण के लिए दिसंबर 18 जनवरी 2008 को कुल 14.50 मिलियन अमरीकी डॉलर (चौदह मिलियन पाँच सौ हजार अमरीकी डॉलर मात्र) तक की ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए करार किया है।

[दिनांक 26 फरवरी 2009 का ए पी
(डी आइ आर श्रंखला)परिपत्र सं 54]

(VI) एक्जिम बैंक की सिएरा लिओन सरकार को 15 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) ने सिएरा लिओन सरकार के साथ सिएरा लिओन में वणिज्यिक कृषि विकास,जिसमें ट्रैक्टर और उससे जुड़े औजारों,फसल काटने की मशीनें, धान-कुट्टी मशीनें (राइस-थ्रेशर), चावल मिलें, मक्का के दाने निकालने की मशीनें और कीटनाशक छिड़काव की मशीनें लेने के लिए,भारत से परामर्शदात्री सेवाओं सहित सुयोग्य वस्तुओं और सेवाओं के वित्तपोषण के लिए 15 मिलियन अमरीकी डॉलर (पंद्रह मिलियन अमरीकी डॉलर) की ऋण सहायता उपलब्ध कराने का 14 नवंबर 2008 को एक करार किया है।

[दिनांक 26 फरवरी 2009 ए पी
(डी आइ आर श्रंखला)परिपत्र सं 55]

(VII) एक्जिम बैंक की गांबिया गजराज्य की सरकार को 10 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) ने 8 अगस्त 2008 को गांबिया गणराज्य की सरकार के साथ एक करार निष्पन्न किया ताकि गांबिया गणराज्य की सरकार को अपने देश में नेशनल एसेम्बली बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए भारत से माल के निर्यात को वित्तपोषित करने के लिए 10 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

[दिनांक 26 फरवरी, 2009 ए पी
(डी आइ सिरीज)परिपत्र सं 56]